

अनवान
 प्रकरण संख्या...../

| दिनांक | आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज |
|-------------|--|
| 10 12/21 | <p>आज यह पत्रावली पत्रावली गाँवों के लोग अभियान-2021, राष्ट्रीय गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत... 8 वीं... में पेश हुई। 71 की अतीति आगामी पेशी तक बढाई जाती है। पत्रावली दिनांक 22/12/21 को पेश हो (h)</p> |
| 22 12/21 | <p>वकील फरीकन उपस्थित श्री मान PO साहू... पुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/12/22 को पेश हो। Kim...</p> |
| 21 22 | <p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची स. 1 व 2 उपस्थित नहीं। अप्राची संख्या 1 व 2 को भक-रु भूर उबाए आवाज लगावाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची स. 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। 71 की अतीति आगामी पेशी तक बढाई जाती है। पत्रावली वास्तु बहसु दिनांक 16/03/22 को पेश हो (h)</p> |
| 16 22 | <p>प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्राची गिण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। प्राची अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रकरण में जारी अन्वय विधवाता को मूलवाद के विषय</p> |

तालुका उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर

बनाम

संख्या

अन्तर्गत धारा

| | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| क्र | आदेश या कार्यवाही पर हस्ताक्षर जज | नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए |
|-----|-----------------------------------|---|

तक स्थाई करने वाला निवेदन किया है। लिहाजा प्राची का प्राथम पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर अस्थायी आदेश बलक प्राची विरुद्ध अप्राचीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि एक 214 की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 22/57 के मु. न. 10/22 को 4.312 हेक्टेयर बहरी भूमि की मौका व रिकॉर्ड की प्रचालिती मूलवाद के निगमि तक बनाए रखे। पत्रावली निगमि होकर नम्बर से फस होकर मूलवाद के साथ सलग्न है।

महेश अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

